04.11.024

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण पक्ष उप.। अप्रार्थी संख्या 2,4,7,8 को बार–बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नही इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये वकील वकालतनामा मय जवाब पेश किया पूर्व से संलग्न पत्रावली है। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सरनाऊ पटवार हल्का सरनाऊ तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 कुल रकबा 11.59 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी प्रत्येक का 1/5 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य भू–विभाजन होना शेष है। राजस्व रेकर्ड में भूमि संयुक्त खातेदारी है। अप्रार्थीगण हिस्से ज्यादा अच्छी से अच्छी उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल कर कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करना चाहता है। अप्रार्थीगण हमारे पारिवारीक अनबन रखकर नाराज होकर अदाबदी रखता है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का विधिवत भू–विभाजन कराये बिना, बिना सहमति से आराजी का विशेष उपजाऊ व विशेष भू–भाग पर अवैध व गैर कानूनी रूप हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर अपने मजदूरों को इक्कठा कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में बेरवेल व पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की कब्जाशुदा एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर वक्त पीढियों से लगातार अलग से हम प्रार्थीगण का काश्त कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि में खाद वगैरह डालकर, समतल कराकर उपजाउ व उपयोगी बनया है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। तथा इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण अगर प्रार्थीगण के कब्जासुदा व खातेदारी की भूमि से बिना किसी विधिसम्मत प्रक्रिया के जोर जबरदस्ती से विधिविरूद्व से बेदखल करने में तथा हम प्रार्थीगण को अपने खेत पर काश्त करने से वंचित करने में सफल हो गए या आगे बगैर अधिकार के वादग्रस्त आराजी बैचान कर हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन दृव्य में किया जाना मुमकिन नही होगा। इस प्रकार तीनोंल आधारभूत सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूल वाद ताफैसला तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा से पांबद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज [illegible]न व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदार प्रकृति [illegible] प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नही होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर [illegible] कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner